

अधिकारी चुनाव कार्य के
होने से प्रकरण दिनांक 19/12/22
को पेश हों।

आज्ञा से



रीडर

19.12.23

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अल्पस्थिति
वादी अधिवक्ता को सम्मन प्रस्तुत करने हेतु पूर्व में
भी आवरी अक्सर दिए जा चुके हैं। वादी द्वारा
आज की उपस्थिति नहीं हुई एवं नहीं सम्मन जोलस पेश
किये गए हैं। जिससे जाहिर होता है कि वादी अपने वाद
के प्रति मेजर नहीं है एवं नहीं अपना वाद चलाना चाहते
हैं। न्यायालय द्वारा कुछ-कुछ तीग बार आवाज लगाई
अंतः वार्डों वावजूद इसके कोई उपस्थिति नहीं हुआ।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम
हाजरी एवं अदम पेशवी में कारिज किया जाता है। निर्णय
सरेजलास सुनाया गया। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर
नम्बर से कम है।



प्रतिभावर्मा

DAS

उपखण्ड अधिकारी
गिवां, उदयपुर